

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-3337-औस/2011-11(11)एफ/86 (टी.सी.)

दिनांक ० | नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय/मुख्यालय कार्यालयों के अन्तर्गत सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मिकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2886-औस/2011-11(11)एफ/86 (टी०सी०), दिनांक 22.09.2011 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण-11 द्वारा यह संज्ञानित कराया गया है कि कारपोरेशन के आदेश संख्या-2886-औस/2011, दिनांक 22.09.2011 एवं आदेश संख्या-27/पारेषण-16/पाकालि/2009-4(3)पारे-16/09, दिनांक 22.05.2009 को आधार बनाकर पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों को मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) द्वारा निस्तारण हेतु पारेषण इकाई को भेजना ठीक नहीं है।

अतः एतद्वारा उक्त भ्रम के निवारण हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-2886-औस/2011, दिनांक 22.09.2011 के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1815-औस-17/पाकालि/2002-11(11)एफ/86 (टी०सी०), दिनांक 20.05.2002 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर आश्रित परिजनों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विषयक वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी आदेश, जिसके द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) को सक्षम अधिकारी बनाया गया है, यथावत् प्रभावी है।

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या-3337-(1) औस/2011-11(11)एफ/86 (टी.सी.) तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० मंत्री, ऊर्जा, उ०प्र० शासन के निजी सचिव।
- 2- सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (आपरेशन), ट्रान्स्को, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता पारेषण (आपरेशन), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉचसमिति, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त वरिष्ठ कर्मिक अधिकारी/कर्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- उप सचिव (काविनी), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव (प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध)।
- 12- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया वेबसाइट

www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।

14- सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,
N.A. Mathur
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी
1.11.11